कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

—: विविध आदेश :—

क्रमांक / 610 / सां0अनु0—45 / 2024 टीकमगढ़, दिनांक :— 01 मार्च, 2024

मैं हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म.प्र.) मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1), धारा 10(दो) तथा दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 194, 381(2), 408 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, न्यायिक जिला टीकमगढ़ के लिये पूर्व में जारी कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश क्रमांक—53 / सां.अनु.—45 / 2024 टीकमगढ़ दिनांक 08.01.2024 में निम्नानुसार **आंशिक संशोधन** करता हूँ :—

(1) कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश के पृष्ठ क्रमांक 6 एवं 7 पर अंकित सरल क्रमांक 15, 16, 17 एवं 18 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार स्थापित किया जाता है:—

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा **(श्री मातादीन रजक)**	राजस्व तहसील जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़	1	एक करोड़ एक रूपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद आवेदनपत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।
			2	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकाऐं।
			3	आर्बिटेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं आर्बिटेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट से संबंधित निष्पादन प्रकरण।
			4	हिन्दू विवाह अधिनियम—हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम / हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम / इंडियन डायबोर्स एक्ट / स्पेशल मैरिज एक्ट / गार्जियनशिप एवं वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			5	धारा 26 म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
			6	भू—अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
			7	भारतीय उत्तराधिकार के प्रकरण (भाग—10) को छोडकर।
			8	निराकृत सिविल वादों / मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञप्तियों / आदेशों , अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।
			9	लघुवाद दावे रूपये 501 से 1000 तक।
			10	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।
			11	टीकमगढ़ जिले के थाना— 1. जतारा 2. पलेरा 3. लिधौरा 4. चन्देरा, 5. बम्हौरीकला से उदभूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।
			12	पीठासीन अधिकारी, लिंक न्यायालय— जिला न्यायाधीश जतारा एवं द्वितीय जिला न्यायाधीश, जतारा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			13	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			14	ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय श्रवणाधिकारिता के हो।
			15	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			16	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जतारा के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञप्तियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
16-	-"-	सत्र खण्ड	1	विशेष न्यायाधीश– भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र (जतारा के विद्युत क्षेत्र से संबंधित)।
			2	सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			3	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं.
			4	तहसील जतारा के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरूद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
			5	थाना जतारा, पलेरा, लिधौरा, चन्देरा एवं बम्हौरीकलां (वे क्षेत्र जो जतारा तहसील के अंतर्गत आते है) क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं.।
			6	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
			7	तहसील जतारा में पूर्व में पदस्थ रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण के संबंध में प्रारंभिक सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
			8	थाना–जतारा, पलेरा, लिधौरा, चन्देरा, बम्हौरीकलां से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
17-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा		1	रिक्त न्यायालय
18-	-"-		1	रिक्त न्यायालय

(2) कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश के पृष्ठ क्रमांक 11 पर अंकित सरल क्रमांक 23 के कॉलम 3 में ''माह जनवरी से फरवरी तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर''को विलोपित कर उसके स्थान पर ''माह जनवरी से मार्च तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर'' को स्थापित किया जाता है।

(3) कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश के पृष्ठ कमांक 11 पर अंकित सरल कमांक 25 के कॉलम 3 में ''माह मार्च से मई तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर''को विलोपित कर उसके स्थान पर ''रिक्त न्यायालय'' को स्थापित किया जाता है तथा कॉलम कमांक 5 में कण्डिका कमांक 01 लगायत 8 तक, को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर ''रिक्त न्यायालय'' को स्थापित किया जाता है।

(4) कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश के पृष्ठ कमांक 14 पर अंकित सरल कमांक 39 के कॉलम 3 में ''राजस्व तहसील जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़'' को विलोपित कर उसके स्थान पर ''माह जनवरी से जून तक राजस्व तहसील जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़'' तथा कॉलम 5 में कण्डिका कमांक 08 ''न्यायालय– (1) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (प्रथम) (2) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (3) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जतारा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।'' **को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर** ''न्यायालय– (1) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (प्रथम) (2) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जतारा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।'' को स्थापित किया जाता है।

(5) कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश के पृष्ठ कमांक 14 पर अंकित सरल कमांक 40 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार स्थापित किया जाता है:–

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा **(श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी)**	माह जुलाई से दिसम्बर तक राजस्व तह0 जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़	1	रूपये 5,00,001/– (पांच लाख एक) से 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/– रू0 से 500/– रूपये तक है।
			3	उपरोक्त वादों से उत्पन्न सभी निष्पादन व विविध प्रकरण।
			4	भार0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र ।
			5	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें ।
			6	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			7	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।''
			9	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

(6) कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश के पृष्ठ कमांक 14 पर अंकित सरल कमांक 42 के कॉलम 2 में '' प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जतारा **श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर** ''प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जतारा'' को स्थापित किया जाता है, कॉलम कमांक 3 में ''माह जनवरी से जून तक राजस्व तहसील जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़'' को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर ''रिक्त न्यायालय'' को स्थापित किया जाता है तथा कॉलम कमांक 5 में कण्डिका कमांक 01 लगायत 6 तक, को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर ''रिक्त न्यायालय'' को स्थापित किया जाता है।

(7) कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश के पृष्ठ कमांक 15 पर अंकित सरल कमांक 43 के कॉलम 3 में ''माह जुलाई से दिसम्बर तक राजस्व तहसील जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़'' को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर ''माह जनवरी से दिसम्बर तक राजस्व तहसील जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़'' को स्थापित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)

पृ0कमांक / 616 (1-22) / सां0अनु0–45 / 2024 — **टीकमगढ, दिनांक :– 01 मार्च, 2024**

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान्नीय पोर्ट फोलियो न्यायाधिपति महोदय (टीकमगढ़), म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर (म0प्र0)
2. मान्नीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर (म0प्र0)
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर (म0प्र0)
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (म0प्र0)
5. कलेक्टर, टीकमगढ़ / निवाड़ी (म0प्र0)
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ / निवाड़ी (म0प्र0)

– की ओर ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित्।

7. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) टीकमगढ़ (म0प्र0)
8. समस्त जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी (म0प्र0)
9. प्रभारी अधिकारी, (फाईलिंग काउन्टर) टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी / ओरछा
10. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी टीकमगढ़
11. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी / ओरछा
12. रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, टीकमगढ़
13. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय टीकमगढ़ / निवाड़ी
14. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी / ओरछा
15. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रशिक्षु न्यायाधीश) टीकमगढ़
16. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म0प्र0)
17. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म0प्र0)
18. अध्यक्ष अभिभाषक संघ जतारा / निवाड़ी / ओरछा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
19. प्रशासनिक अधिकारी / उप प्रशासनिक अधिकारी–प्रथम / द्वितीय, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
20. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)
21. संबंधित श्री ....

– क. 7 लगायत 20 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल के माध्यम से प्रेषित्।

22. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को संबंधित उक्त अधिकारीगण की ओर ई–मेल के माध्यम से अविलंब प्रेषित् करावें तथा जिला न्यायालय टीकमगढ़ की बेबसाईट पर अविलंब अपलोड करावें।

संलग्न– विविध आदेश

(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)